संभागीय प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब एवं अन्य

बनाम

चंदर हस और अन्य

6 दिसम्बर 2007

[ए के माथुर और मार्कन्डेय काटजू ,जे.जे]

सेवा कानून:

नियमितीकरण -मालियों को दैनिक वेतन के आधार पर लगाया गया - बाद में ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करना शुरू किया - माली के रूप में नियमित किया गया - ट्रैक्टर चालक के रूप में नियमितीकरण के लिए मुकदमा - ट्रायल कोर्ट द्वारा इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया गया कि ट्रैक्टर चालक का कोई स्वीकृत पद नहीं था - प्रथम अपीलीय अदालत का निर्देश ट्रैक्टर चालकों के पद सृजित करने और वादीगणों को ट्रैक्टर चालक के रूप में नियमित करने के लिए-उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री की पुष्टि की गई- माना: चूंकि ट्रैक्टर चालक का कोई स्वीकृत पद नहीं था जिसके विरुद्ध उत्तरदाताओं को नियमित किया जा सके, प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्देश ट्रैक्टर चालकों के पद सृजित करना और ऐसे पदों के खिलाफ वादी को नियमित करना पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र से परे था - न्यायालय पदों के सृजन का निर्देश नहीं दे सकता - पदों का निर्माण और मंजूरी कार्यकारी या विधायी

अधिकारियों का विशेषाधिकार है और न्यायालय इसे पूरी तरह से कार्यकारी या विधायी कार्य को अपने ऊपर नहीं थोप सकता और किसी भी संगठन में पदों का प्रत्यक्ष सृजन हेतु निर्देशित नहीं कर सकते हैं -उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत दोनों ने वादी-न्यायपालिका-शक्तियों और सीमाओं को समायोजित करने के लिए ट्रैक्टर चालकों के पदों के सृजन का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया। **[पैरा 14, 15 और 41] [1089-जी, एच; 1090-बी, सी; 1099-एफ]**

संविधानवाद -भारत के संविधान के तहत, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी का अपना व्यापक कार्य क्षेत्र है - आमतौर पर, राज्य के इन तीन अंगों में से किसी के लिए दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करना उचित नहीं है, अन्यथा संविधान का नाजुक संतुलन बिगडेगा और प्रतिक्रिया होगी-यदि कोई कानून है, तो न्यायाधीश निश्चित रूप से इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश कोई कानून नहीं बना सकते हैं और इसे लागू करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं-भारत का संविधान, 1950-शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। **[पैरा 19 और 26] [1090-जी; 1091-ए; 1095-डी]**

टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, एआईआर (1996) एससी 11; राम जवाया बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1955) एससी 549; आसिफ़ हमीद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, एआईआर (1989) एससी 1899; भारत

संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल, एआईआर (1992) एससी 96; वी.के. रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जे.टी. (2006) 2 एससी361; सुरेश सेठ बनाम आयुक्त, इंदौर नगर निगम एवं अन्य, एआईआर (2006) एससी 767; और बल राम बाली बनाम भारत संघ, जेटी (2007) 10 एससी 509 पर भरोसा किया गया।

राजिंदरा सिंह बनाम प्रेम माई एवं अन्य, (सिविल अपील संख्या 1307/2001) 23 अगस्त, 2007 को निर्णय लिया गया, संदर्भित।

न्यायपालिका-शक्तियाँ और सीमाएँ-राज्य के तीन अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से केवल न्यायपालिका के पास ही तीनों अंगों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ घोषित करने की शक्ति है-यह एक महान शक्ति है और इसलिए इसका दुष्प्रयोग या दुरूपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका द्वारा अत्यंत विनम्रता और आत्म-संयम के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए-न्यायिक संयम राज्य की तीन स्वतंत्र शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन के अनुरूप और पूरक है-यह इसे दो तरीकों से पूरा करता है-पहला न्यायिक संयम न केवल अन्य दो की समानता को मान्यता देता है न्यायपालिका के साथ शाखाएँ, यह न्यायपालिका द्वारा अंतर-शाखा हस्तक्षेप को कम करके समानता को भी बढ़ावा देती है दूसरा, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है - स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक समझौता यह है कि न्यायाधीशों को अन्य अलग शाखाओं

के लिए आरक्षित क्षेत्रों से खुद को रोकना चाहिए -इस प्रकार न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण-न्यायिक संयम के दोहरे, व्यापक मूल्यों का पूरक है। **[पैरा 32, 33, 34 और 35) [1097-बी, सी, डी, ई, जी; 1098-ए]**

डेनिस बनाम युनाइटेड स्टेट्स, **(यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 95 लॉ एड. अक्टूबर 1950 टर्म यू.एस. 340-341)**, संदर्भित।

न्यायिक सक्रियता - न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायाधीश अपनी सीमाएँ पार नहीं कर सकते हैं और राज्य के किसी अन्य अंग से संबंधित कार्यों को अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं कर सकते हैं - यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक होगा - न्यायाधीशों को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और कार्यकारी या विधायी क्षेत्र इसमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए -ऐसा नहीं है कि न्यायाधीशों को कभी भी जागरूक नहीं होना चाहिए -कभी-कभी न्यायिक सक्रियता उपयोगी होती है। लोकतंत्र के अनुरूप, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया-हालांकि, इसका सहारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए जब स्थिति राष्ट्र या समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के हित में इसकी जोरदार मांग करती है। लेकिन हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि सामान्यतः कानून या प्रशासनिक निर्णय का कार्य विधायिका और कार्यपालिका का है, न कि न्यायपालिका-न्यायिक

संयम-संविधानवाद का।**[पैरा 17, 18 और 39] [1090-ई, एफ; 1099-ए, बी, सी]**

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम द वर्कमैन ऑफ इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड [2007] 1 एससीसी 408 और एस.सी. चंद्रा और अन्य। बनाम झारखंड राज्य और अन्य, जेटी [2007] 104 एससी 272, पर निर्भर।

ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड, 347 यू.एस. 483 (1954); मिरांडा बनाम एरिज़ोना, 384 यू.एस. 436 और रो बनाम वेड, 410 यू.एस. 113, का उल्लेख किया गया है।

वरिष्ठ न्यायालयों के अंतरिम आदेश-माना: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच नाजुक संवैधानिक संतुलन को छोडना नहीं चाहिए। [पैरा 28]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5732/2007.

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 17.02.2006 के अंतिम निर्णय और आदेश से आर.एस.ए. 2006 की संख्या 666।

अपीलकर्ताओं की ओर से देविंदर प्रताप सिंह और टी.वी. जॉर्ज।

प्रतिवादियों की ओर से नीलम जैन और अन्नम और डी.एन. राव।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया

आदेश

1. पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

2. स्वीकृति प्रदान की गई।

3. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील आरएसए नंबर 666/2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 17 फरवरी, 2006 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायधीाश द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश व डिक्री की पुष्टि की गई है।

4. प्रस्तुत अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी (इस अपील में प्रतिवादी) को प्रतिवादी-अपीलकर्ता जो की सेवा में माली (माली) के रूप में प्रतिदिन मेहनताने पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 1989 में उन्हें ट्रैक्टर चालक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया, हालांकि नियोक्ता के प्रतिष्ठान में ट्रैक्टर चालक का कोई पद नहीं था। हालाँकि कई वर्षों तक उन्हें माली पद के लिए वेतन दिया जाता रहा।

5. इसके बाद प्रधान कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश पर अपीलकर्ताओं को उपायुक्त द्वारा अनुशंसित दरों के अनुसार, दैनिक मजदूरी के आधार पर ट्रैक्टर चालक की मजदूरी का भुगतान करना शुरू कर दिया।

हालाँकि वे लगभग एक दशक तक ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करते रहे, लेकिन उनकी सेवाएँ वर्ष 1999 में माली के पद पर नियमित कर दी गईं, न कि ट्रैक्टर चालक के रूप में। जब अभ्यावेदन के बावजूद उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया गया, तो उत्तरदाताओं ने ट्रैक्टर चालक के पदों के खिलाफ नियमितीकरण का दावा करते हुए अप्रैल, 2001 में सिविल मुकदमा दायर किया। उनके दावे को विचारण न्यायालय ने इस कारण खारिज कर दिया, कि प्रतिष्ठान में ट्रैक्टर चालक का कोई पद नहीं था, और मुकदमा खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय ने माना कि गोल्फ क्लब में ट्रैक्टर चलाना माली के काम का अभिन्न अंग है, क्योंकि क्लब का गोल्फ मैदान विशाल है और इसे यांत्रिक उपकरणों के साथ बनाए रखने की आवश्यकता है।

6. उक्त आदेश से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद के समक्ष अपील दायर की। उनकी अपील स्वीकार कर ली गई और विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी 13.8.1999 से वादी से ट्रैक्टर चालक का कार्य ले रहे थे, और इसलिए उसने प्रतिवादी को ट्रैक्टर चालक का पद स्वीकृत कराने और वादी को उस पद पर नियमित करने का निर्देश दिया।

7. इसके बाद अरावली गोल्फ क्लब के डिविजनल मैनेजर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि ट्रैक्टर चालक का पद सृजित किया जाना चाहिए क्योंकि चालकों के पद सृजित न करने में कोई दिक्कत नहीं है, खासकर जब ट्रैक्टर उपलब्ध थे और उन ट्रैक्टरों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी कहा गया कि केवल तकनीकी आधारो पर राज्य के अधिकारियों को व्यक्तियों को दबाने और उनके वैधानिक अधिकारों के हनन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि मामले में कानून का कोई तात्विक प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए, दूसरी अपील खारिज कर दी गई और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त फैसले से व्यथित अपीलकर्ता द्वारा आज अपील प्रस्तुत की गई है।

8. वादी-प्रतिवादियों ने वाद-पत्र में स्वीकार किया कि उन्हें माली के रूप में नियुक्त किया गया था। मुकदमे में वादी-प्रतिवादियों ने कहा कि वे अरावली गोल्फ क्लब में ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करते थे। प्रारंभ में वे दैनिक वेतन पर लगे हुए थे। इसके बाद उनकी सेवाएं ट्रैक्टर चालक के स्थान पर माली (माली) के पद पर नियमित कर दी गईं। उत्तरदाताओं ने ट्रैक्टर चालक के पद पर उन्हें नियमित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि

ट्रैक्टर चालक का कोई पद नहीं था। इसलिए, प्रतिवादियों ने मुकदमा दायर किया।

9. प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा मुकदमा लड़ा गया था। अपीलकर्ताओं ने अपने जवाब दावे में अभिवचन किया है कि वादी को 9.10.1989 को दैनिक वेतन के आधार पर माली के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पूर्व मे अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए रिट याचिका संख्या 6216/1991 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 को उसकी सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ एक अभ्यावेदन देने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करके उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया और अपीलकर्ताओं को उसके अभ्यावेदन तक प्रतिवादी नंबर 1 की सेवाओं को समाप्त करने से रोक दिया गया। तदनुसार रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

10. उक्त आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 2.5.1991 को अपनी सेवा के नियमितीकरण हेतु अभ्यावेदन दिया। वादी-प्रतिवादी को आदेश दिनांक 14.5.1991 द्वारा सूचित किया गया था कि ट्रैक्टर चालक का कोई पद नहीं था और उसके नियमितीकरण के मामले पर तब विचार किया जाएगा जबकि ट्रैक्टर चालक का पद स्वीकृत होगा।

11. वादी-प्रतिवादी को अगस्त 1990 से 11.5.1999 तक डीसी दर पर दैनिक मजदूरी के आधार पर ट्रैक्टर चालक की मजदूरी का भुगतान किया

गया था क्योंकि उसे ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करने के लिए कहा गया था। उन्हें यह भी बताया गया कि जब भी ट्रैक्टर चालक का कोई पद सृजित होगा, तो ट्रैक्टर चालक की नियुक्ति के लिए उनके मामले पर विचार किया जायेगा. इस बीच वादी संख्या 1 की सेवाओं को दिनांक 11.5.1999 के आदेश द्वारा माली के रूप में नियमित कर दिया गया, जिसे उन्होंने बिना किसी विरोध के विधिवत स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी नंबर 2 का मामला भी समान ही है। उसे 1.9.1988 से दैनिक वेतन के आधार पर माली के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 11.5.1999 के आदेश से उनकी सेवाओं को भी माली के रूप में नियमित कर दिया गया था।

12. जबाव दावे में अपीलार्थियों ने प्रारम्भिक आपत्ति की है कि चूँकि ट्रैक्टर चालक का कोई पद स्वीकृत नहीं है अत: उन्हें ट्रैक्टर चालक के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जबाव दावे में यह भी कहा गया कि जब भी ट्रैक्टर चालक के पद उपलब्ध होंगे, उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। इन दलीलों के आधार पर, कई विवाद्यक संरचित किए गए और विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दर्ज किया गया कि चूंकि ट्रैक्टर चालक का कोई स्वीकृत पद ही नहीं है, इसलिए वादी को उक्त पद पर नियमित नहीं किया जा सकता है। यह विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य का निष्कर्ष है और इस पर किसी भी स्तर पर कभी विवाद नहीं हुआ। उक्त फैसले के खिलाफ व्यथित होकर उत्तरदाताओं ने अपील दायर की और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले की योग्यता पर

विचार किए बिना ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और ट्रैक्टर चालक के पद के सृजन और उत्तरदाताओं को नियमित करने का निर्देश दिया। उक्त पोस्ट पर. प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की है।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क पेश किया है कि ट्रैक्टर चालक का कोई पद नहीं है, और इसलिए, उक्त पद पर उत्तरदाताओं को नियमित करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता के प्रतिष्ठान में ट्रैक्टर चालक का कोई स्वीकृत पद नहीं है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील यह भी साबित नहीं कर सके कि ट्रैक्टर चालक का कोई पद स्वीकृत है।

14. चूँकि ट्रैक्टर चालक का कोई स्वीकृत पद नहीं है जिसके विरुद्ध उत्तरदाताओं को ट्रैक्टर चालक के रूप में नियमित किया जा सके, प्रथम अपीलीय न्यायालय और विद्वान एकल न्यायाधीश को ट्रैक्टर चालक का पद सृजित करने और प्रतिवादियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश हमारी राय में उनके अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर हैं।

15. न्यायालय पदों के सृजन का निर्देश नहीं दे सकता। पदों का निर्माण और मंजूरी कार्यकारी या विधायी प्राधिकारियों का विशेषाधिकार है

और न्यायालय इस विशुद्ध कार्यकारी या विधायी कार्य को अपने ऊपर लेकर किसी भी संगठन में पदों के निर्माण का निर्देश नहीं दे सकता है। इस न्यायालय ने समय समय पर निर्देशित किया है कि पद का सृजन एक कार्यकारी या विधायी कार्य है और इसमें आर्थिक कारक शामिल होते हैं। इसलिए न्यायालय किसी पद के सृजन की शक्ति अपने ऊपर नहीं ले सकता। इसलिए, ट्रैक्टर चालक के पद सृजित करने और उक्त पदों के विरुद्ध प्रतिवादियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश बरकरार नहीं रखे जा सकते हैं और उन्हें अपास्त किया जाता है।

16. नतीजतन, इस अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और आदेश को अपास्त किया जाता है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है। मुकदमा बिना कास्ट के खारिज किया जाता है।

17. इस मामले से अलग होने से पहले हम न्यायपालिका की शक्तियों की सीमाओं के बारे में कुछ टिप्पणियाँ करना चाहेंगे। हम ये टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे सामने बार-बार ऐसे मामले आ रहे हैं जहां न्यायाधीश अनुचित तरीके से कार्यकारी या विधायी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी राय में यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायाधीश अपनी सीमाएँ पार नहीं कर

सकते और उन कार्यों को अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं कर सकते जो राज्य के किसी अन्य अंग से संबंधित हैं।

18. न्यायाधीशों को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और कार्यकारी या विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जैसा कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम द वर्कमैन ऑफ इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मामले में (2007) 1 एससीसी 408 और एससी चंद्रा और अन्य। बनाम झारखंड राज्य और अन्य। जेटी 2007 (10) 4 एससी 272 (एम. काटजू, जे. का सहमति निर्णय देखें)।

19. हमारे संविधान के तहत, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी के संचालन के अपने-अपने व्यापक क्षेत्र हैं। आमतौर पर राज्य के इन तीन अंगों में से किसी के लिए भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करना उचित नहीं है, अन्यथा संविधान में संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रतिक्रिया होगी।

20. न्यायाधीशों को अपनी सीमाएँ जाननी चाहिए और सरकार चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनमें शील और नम्रता होनी चाहिए, सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। संविधान के तहत शक्तियों का व्यापक पृथक्करण है और राज्य के प्रत्येक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दूसरों का सम्मान करना चाहिए और एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

21. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू (अपनी पुस्तक 'द स्पिरिट ऑफ लॉज़' में) द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो भारत में भी लागू है। अपनी पुस्तक 'द स्पिरिट ऑफ लॉज़' के अध्याय XI में मोंटेस्क्यू लिखते हैं:

> ''जब विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में, या मजिस्ट्रेटों के एक ही निकाय में एकजुट हो जाती हैं, तो कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती; क्योंकि आशंकाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, कि कहीं वही सम्राट या सीनेट अत्याचारी कानून न बना दे, उन्हें अत्याचारी ढंग से क्रियान्वित न कर दे।''
>
> ''फिर, कोई स्वतंत्रता नहीं है, यदि न्यायिक शक्ति को विधायिका और कार्यपालिका से अलग नहीं किया जाए। यदि इसे विधायिका के साथ जोड़ दिया गया, तो विषय का जीवन और स्वतंत्रता मनमाने नियंत्रण के अधीन हो जाएगी; क्योंकि न्यायाधीश तब विधायक होगा। यदि यह कार्यकारी शक्ति से जुड़ा होता, तो न्यायाधीश हिंसा और उत्पीड़न का व्यवहार कर सकता है।''
>
> ''हर चीज़ का अंत होगा, यदि एक ही आदमी या एक ही निकाय, चाहे वह कुलीनों का हो या लोगों का, उन तीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, कानून बनाने की,

सार्वजनिक संकल्पों को क्रियान्वित करने की, और मुद्दों की कोशिश करने की व्यक्तियों का।''

हम ऊपर व्यक्त विचार से पूरी तरह सहमत हैं। उद्धृत अंश में मोंटेस्क्यू की चेतावनी आज भारतीय न्यायपालिका के लिए विशेष रूप से उपयुक्त और सामयिक है, क्योंकि अक्सर 'अन्य दो अंगों के क्षेत्र में अति-पहुंच और अतिक्रमण' के लिए इसकी आलोचना की जाती है।

22. टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1996 एससी 11 (पैराग्राफ 113 के माध्यम से) इस न्यायालय ने कहा कि आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है। यही दृष्टिकोण बड़ी संख्या में अन्य निर्णयों में भी लिया गया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई अदालतें इन निर्णयों का पालन नहीं कर रही हैं और विधायी या कार्यकारी कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। हमारी राय में निर्णय ऐतिहासिक रूप से मान्य प्रतिबंधों और न्यायाधीशों की प्राथमिकताओं को सचेत रूप से कम करने की प्रणाली के भीतर किया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रशासनिक अधिकारियों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता है जबकि न्यायालय के पास ऐसा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश नीली के शब्दों में:

''एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सीमाओं के बारे में मुझे बहुत कम भ्रम हैं। मैं अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फाइनेंसर, बैंकर, स्टॉकब्रोकर या सिस्टम मैनेजमेंट विश्लेषक नहीं हूं। यह अपेक्षा करना मूर्खता की पराकाष्ठा है कि न्यायाधीश किसी सार्वजनिक उपयोगिता ऑपरेशन की पेचीदगियों को संबोधित करते हुए 5000 पेज के रिकॉर्ड की बुद्धिमानी से समीक्षा करेंगे। एक न्यायाधीश का कार्य सुपर बोर्ड के रूप में कार्य करना, या एक पांडित्यपूर्ण स्कूल मास्टर के उत्साह के साथ अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय के स्थान पर रखना नहीं है।''

23. राम जवाया बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1955 एससी 549 (पैराग्राफ 12 के अनुसार) में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा:

''भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को उसकी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है, लेकिन सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं के कार्यों में पर्याप्त रूप से अंतर किया गया है और परिणामस्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान किसी एक द्वारा धारणा पर विचार नहीं करता है। राज्य का

अंग या हिस्सा, उन कार्यों का जो अनिवार्य रूप से दूसरे से संबंधित हैं''

24. इसी प्रकार, आसिफ हमीद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, एआईआर 1989 एससी 1899 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा (पैराग्राफ 17 से 19 के माध्यम से):

17. इन अपीलों से सीधे तौर पर जुड़े विवाद पर चर्चा करने से पहले हम अपने संविधान के तहत लोकतंत्र के तीनों अंगों की परस्पर कार्यप्रणाली पर नए सिरे से नजर डाल सकते हैं। यद्यपि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान के तहत इसकी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने राज्य के विभिन्न अंगों के कार्यों को सावधानीपूर्वक परिभाषित किया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के तहत निर्धारित अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर काम करना होगा। कोई भी अंग दूसरे को सौंपे गए कार्यों को हड़प नहीं सकता। संविधान इन अंगों के कार्य करने और उसमें निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके अपने विवेक का प्रयोग करने के निर्णय पर भरोसा करता है। लोकतंत्र का कामकाज उसके प्रत्येक अंग की ताकत और स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। विधायिका और कार्यपालिका, लोगों की इच्छा के दो पहलू हैं, इनके पास वित्त सहित सभी शक्तियाँ हैं। न्यायपालिका के पास एसी वित्तीय कोई शक्ति नहीं है फिर भी उसके पास यह सुनिश्चित

करने की शक्ति है कि राज्य के उपरोक्त दो मुख्य अंग संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं। यह लोकतंत्र का प्रहरी है. न्यायिक समीक्षा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। न्यायिक समीक्षा के विस्तारित क्षितिज ने सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा को अपने दायरे में ले लिया है। जबकि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायिक संयम के अधीन है, हमारी अपनी शक्ति के प्रयोग पर एकमात्र रोक न्यायिक संयम स्वयं लगाया गया अनुशासन है।

18. ट्रॉप बनाम डलेस (1958) 356 यूएस 86 के विवादास्पद प्रवासी मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ्रैंकफर्टर, जे. ने इस प्रकार असहमति व्यक्त की:

> ''मैडिसन के शब्दों में, सारी शक्ति अतिक्रमणकारी प्रकृति की है। न्यायिक शक्तियाँ इस मानवीय कमज़ोरी से अछूती नहीं हैं। उसे अपनी उचित सीमाओं से परे अतिक्रमण करने से भी सावधान रहना चाहिए, और इससे भी कम नहीं क्योंकि उस पर एकमात्र अंकुश आत्मसंयम ही है।''
>
> अधिकार के प्रश्नों और विवेक के प्रश्नों के बीच शक्ति की सीमाओं और शक्ति के बुद्धिमानीपूर्ण प्रयोग के बीच अंतर का कठोरता से पालन करने के लिए दो अवधारणाओं के इस

निर्णायक लेकिन सूक्ष्म संबंध की सबसे सतर्क सराहना की आवश्यकता होती है जो बहुत आसानी से एकजुट हो जाते हैं। अंतर का पालन करने के लिए किसी अनुशासित इच्छाशक्ति की भी कम आवश्यकता नहीं है। अलग-थलग खड़े रहना और मामलों के संचालन में बुद्धिमानी के बारे में अपने स्वयं के दृढ़ता से रखे गए दृष्टिकोण की उपेक्षा करना और ज्ञान की कमी को हावी होने देना आसान नहीं है। लेकिन नीति इस न्यायालय का काम नहीं है। इसे अपनी स्वयं की शक्ति की सीमाओं का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए, और इससे न्यायालय की बुद्धिमानी या राजनीतिकता के बारे में अपनी धारणाओं को व्यक्त करने से रोकता है। न्यायिक शपथ के पालन में आत्म-संयम का सार है, क्योंकि संविधान ने न्यायाधीशों को कांग्रेस और कार्यकारी शाखा के विवेक के आधार पर निर्णय देने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

19. जब किसी राज्य की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो अदालत का कार्य कानून के अनुसार कार्रवाई की जांच करना और यह निर्धारित करना है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के भीतर कार्य किया है और यदि नहीं, तो अदालत को कार्रवाई को रद्द करनी चाहिए। ऐसा करते समय न्यायालय

को अपनी स्वनिर्धारित सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। अदालत सरकार की समन्वय शाखा की कार्रवाई पर फैसला सुनाती है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। संविधान अदालत को नीति के मामलों में कार्यपालिका को निर्देश देने या सलाह देने या संविधान के तहत विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले पर उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है, बशर्ते कि ये अधिकारी अपनी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन न करें।

25. दुर्भाग्य से, इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों में इन टिप्पणियों के बावजूद, कुछ अदालतें अभी भी मोंटेस्क्यू द्वारा निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण के उच्च संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन कर रही हैं। जैसा कि पूर्व सीजेआई माननीय श्री न्यायमूर्ति जेएस वर्मा ने अपने डॉ. केएल दुबे व्याख्यान में बताया था:

न्यायपालिका ने दिल्ली में तुगलक रोड पर एक रहस्यमयी कार की दौड़, एक न्यायाधीश को एक विशेष बंगला आवंटित करने, न्यायाधीशों के पूल के लिए विशिष्ट बंगले, कॉलोनियों में बंदरों के झुंड, सड़कों पर आवारा मवेशियों, सार्वजनिक सुविधाओं को साफ करने, भीड़भाड़ लगाने पर सवाल उठाने के लिए हस्तक्षेप किया है। अपने आदेशों के अनुपालन को लागू करने के लिए अवमानना शक्ति के उपयोग की धमकी के तहत भारी

यातायात आदि वाले हवाई अड्डों पर व्यस्त समय में शुल्क। रेलवे अधिकारियों को ट्रेन में आरक्षण देने के लिए बाध्य करने की अवमानना शक्ति का दुरुपयोग एक चरम उदाहरण है।

26. हाल ही में, न्यायालय अप्रत्यक्षतः यदि स्पष्ट रूप से नहीं तो, कार्यकारी क्षेत्र या नीति के मामलों में भटक गए हैं। उदाहरण के लिए, हाल के दिनों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश नर्सरी प्रवेश के लिए उम्र और अन्य मानदंडों, अनधिकृत स्कूलों, स्कूलों में मुफ्त सीटों के मानदंड, स्कूलों में पीने के पानी की आपूर्ति, मुफ्त बिस्तरों की संख्या जैसे विषयों से संबंधित थे। सार्वजनिक भूमि पर अस्पताल, एम्बुलेंस का उपयोग और दुरुपयोग, अस्पताल में एक विश्व स्तरीय बर्न वार्ड की स्थापना की आवश्यकताएं, दिल्लीवासी किस तरह की हवा में सांस लेते हैं, सार्वजनिक रूप से भीख मांगना, सब-वे का उपयोग, बसों की प्रकृति जिसमें बैठते हैं, दिल्ली में वैध निर्माणों की संख्या, ध्वस्त की जाने वाली इमारतों की पहचान, दिल्ली की सड़कों पर स्पीड-ब्रेकरों का आकार, ऑटो-रिक्शा में अधिक चार्जिंग, सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और सड़क जुर्माना बढ़ाना आदि। हमारी राय में ये विशेष रूप से संबंधित मामले थे कार्यकारी या विधायी डोमेन. यदि कोई कानून है, तो न्यायाधीश निश्चित रूप से उसे लागू कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश कोई कानून नहीं बना सकते और न ही उसे लागू करने की चेष्टा कर सकते हैं।

27. उदाहरण के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि नर्सरी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों का कोई साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ऐसा कोई क़ानून या वैधानिक नियम नहीं है जो ऐसे साक्षात्कारों पर रोक लगाता हो। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक आदेश द्वारा पहले एक कानून बनाया (जो पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से परे था) और फिर इसे लागू करने की मांग की। यह स्पष्ट रूप से अवैध है, क्योंकि न्यायाधीश जैसा भारत संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल , एआईआर 1992 एससी 96 के तहत प्रतिपादित सिद्धांत है, कानून नहीं बना सकते। वीके रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जेटी 2006(2) एससी 361 (पैरा 17 के तहत) में इस न्यायालय ने न्यायाधीशों पर टिप्पणी की कि उन्हें यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वे केवल न्यायिक वीरता के प्रदर्शन के लिए कानून निर्माता की भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह, सुरेश सेठ बनाम आयुक्त, इंदौर नगर निगम और अन्य के मामले में न्यायालय विधायिका को कोई विशेष कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता । एआईआर 2006 एससी 767, बल राम बाली बनाम भारत संघ जेटी 2007 (10) एससी 509 में माना कि लेकिन इस स्थापित सिद्धांत का भी अक्सर न्यायालयों द्वारा उल्लंघन किया जाता है।

28. 1998 का जगदंबिका पाल मामला, जिसमें यूपी विधान सभा शामिल है, और 2005 का झारखंड विधानसभा मामला, शक्तियों के पृथक्करण की स्पष्ट रूप से प्रदान की गई संवैधानिक योजना से विचलन

के दो ज्वलंत उदाहरण हैं। इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों ने, जैसा कि व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच नाजुक संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। माननीय न्यायाधिपति श्री जेएस वर्मा, पूर्व सीजेआई ने इसे न्यायिक विपथन बताया, जिसे उन्होंने आशा व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही इसे ठीक कर देगा।

29. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एएस आनंद ने हाल ही में कहा है: अदालतों को स्थापित मापदंडों और संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा। निर्णयों में स्पष्ट रूप से समझ में आने वाले सिद्धांतों के साथ न्यायशास्त्रीय आधार होना चाहिए। न्यायालयों को यह देखने के लिए सावधान रहना होगा कि वे अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें क्योंकि उन्हें संविधान की रक्षा करने का पवित्र कर्तव्य सौंपा गया है। इसलिए नीतिगत मामले, राजकोषीय, शैक्षिक या अन्य, कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ देना ही सर्वोत्तम है। पर्याप्त प्रवर्तन की संभावना के बिना न्यायपालिका द्वारा अधिकारों की बहुलता पैदा करने का खतरा, अंतिम विश्लेषण में, अनुत्पादक होगा और संस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करेगा। अदालतें ऐसे अधिकार नहीं बना सकतीं जहां कोई मौजूद नहीं है और न ही वे ऐसे आदेश जारी कर सकती हैं जो लागू करने में असमर्थ हों या अन्य कानूनों या स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हों। यह देखने के लिए कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक दुस्साहस न

बन जाए, अदालतों को सावधानी और उचित संयम के साथ काम करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि न्यायिक सक्रियता कोई अनिर्देशित मिसाइल नहीं है, अगर इसे ध्यान में नहीं रखा गया तो अराजकता फैल जाएगी। सार्वजनिक प्रशंसा से न्यायाधीशों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और व्यक्तिगत प्रशंसा से बचना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखना जरूरी है। यह याद रखने की जरूरत है कि अदालतें सरकार नहीं चला सकतीं। न्यायपालिका को केवल खतरे की घंटी के रूप में कार्य करना चाहिए; उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्रिय हो गई है।

30. कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण के लिए अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अन्य दो अंग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर यह मान भी लिया जाए कि ऐसा है, तो यही आरोप न्यायपालिका के खिलाफ भी लगाया जा सकता है क्योंकि अदालतों में आधी सदी से मामले लंबित हैं, जैसा कि राजिंदरा सिंह बनाम प्रेम माई और अन्य (सिविल अपील संख्या) 1307/2001) का निर्णय 23 अगस्त, 2007 में बताया गया है।

31. यदि विधायिका या कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है तो यह जनता पर निर्भर है कि वे अगले चुनावों में अपने मताधिकार का सही ढंग से प्रयोग करके और उन उम्मीदवारों को वोट देकर जो उनकी

अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन जैसे अन्य वैध तरीकों से दोषों को ठीक करें। इसका समाधान न्यायपालिका द्वारा विधायी या कार्यकारी कार्यों को अपने हाथ में लेना नहीं है, क्योंकि इससे न केवल संविधान में निहित शक्ति के नाजुक संतुलन का उल्लंघन होगा, बल्कि न्यायपालिका के पास इन कार्यों को करने के लिए न तो विशेषज्ञता है और न ही संसाधन हैं।

32. राज्य के तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से केवल न्यायपालिका को ही तीनों अंगों के अधिकार क्षेत्र की सीमा घोषित करने की शक्ति है। यह एक महान शक्ति है और इसलिए इसका दुष्प्रयोग या दुरुपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायपालिका द्वारा इसका प्रयोग अत्यंत विनम्रता और आत्म-संयम के साथ किया जाना चाहिए।

33. न्यायिक संयम राज्य की तीन स्वतंत्र शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन के अनुरूप और पूरक है। यह इसे दो तरीकों से पूरा करता है। पहला, न्यायिक संयम न केवल न्यायपालिका के साथ अन्य दो शाखाओं की समानता को मान्यता देता है, बल्कि यह न्यायपालिका द्वारा अंतर-शाखा हस्तक्षेप को कम करके उस समानता को भी बढ़ावा देता है। इस विश्लेषण में, न्यायिक संयम को न्यायिक सम्मान भी कहा जा सकता है, अर्थात न्यायपालिका द्वारा अन्य समान शाखाओं के लिए सम्मान। इसके

विपरीत, न्यायिक सक्रियता के अप्रत्याशित परिणाम न्यायपालिका को एक गतिशील लक्ष्य बनाते हैं और इस प्रकार सह-शाखाओं के साथ समानता बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है। संयम न्यायपालिका को स्थिर करता है ताकि यह अंतर-शाखा समानता की प्रणाली में बेहतर ढंग से कार्य कर सके।

34. दूसरा, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब अदालतें विधायी या प्रशासनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण करती हैं तो लगभग अनिवार्य रूप से मतदाता, विधायक और अन्य निर्वाचित अधिकारी यह निष्कर्ष निकालेंगे कि न्यायाधीशों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। यदि न्यायाधीश विधायकों या प्रशासकों की तरह कार्य करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों को विधायकों की तरह चुना जाना चाहिए या प्रशासकों की तरह चयनित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह प्रतिकूल होगा. एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कसौटी उसे राजनीतिक या प्रशासनिक प्रक्रिया से दूर रखना है। भले ही यह निष्कासन कभी-कभी पूर्ण से कम रहा हो, यह आदर्श रूप से समर्थन के योग्य है और इसका बहुमूल्य प्रभाव पड़ा है।

35. स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक समझौता यह है कि न्यायाधीशों को अन्य अलग शाखाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों से खुद को रोकना चाहिए।

इस प्रकार, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के दोहरे, व्यापक मूल्यों का पूरक है।

36. लोचनर बनाम न्यूयॉर्क 198 यूएस 45(1905) में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के श्री जस्टिस होम्स ने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में 'अनुबंध सिद्धांत की स्वतंत्रता' का आविष्कार करके एक सुपर विधायिका बनने के लिए न्यायालय के बहुमत की आलोचना की, जिससे इसे लागू किया गया। विशेष अहस्तक्षेप आर्थिक दर्शन। इसी प्रकार, ग्रिसवॉल्ड बनाम कैनेक्टिकट 381 यूएस 479 में अपने असहमतिपूर्ण फैसले में, श्री न्यायमूर्ति ह्यूगो ब्लैक ने चेतावनी दी कि असीमित न्यायिक रचनात्मकता इस न्यायालय को एक दिन-प्रतिदिन का संवैधानिक सम्मेलन बना देगी। 'द नेचर ऑफ द ज्यूडिशियल प्रोसेस' में जस्टिस कार्डोज़ो ने टिप्पणी की: जज कोई नाइट इरेंट नहीं है, जो सुंदरता और अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में अपनी इच्छानुसार घूम रहा हो। न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने बताया है कि महान न्यायाधीशों ने अपने भाइयों को उनकी सीमाओं का पालन करने में अनुशासन की आवश्यकता के बारे में लगातार चेतावनी दी है (देखें फ्रैंकफर्टर की 'संविधि पढ़ने पर कुछ विचार)।

37. इस संबंध में हम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के उस प्रसिद्ध प्रकरण का उल्लेख कर सकते हैं जब उसने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के न्यू डील कानून पर विचार किया था। जनवरी 1933 में जब

राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने पदभार संभाला तो देश एक भयानक आर्थिक संकट, महामंदी से गुज़र रहा था। इस पर काबू पाने के लिए, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक कानून की एक श्रृंखला शुरू की, जो मुख्य रूप से आर्थिक नियामक उपाय थे। जब इन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो अदालत ने उन्हें इस आधार पर खारिज करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अमेरिकी संविधान में उचित प्रक्रिया खंड का उल्लंघन किया है। प्रतिक्रिया के रूप में, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उनके द्वारा नामित छह और न्यायाधीशों के साथ न्यायालय का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा। ये धमकी काफी थी और इसे अंजाम देना जरूरी नहीं था. 1937 में न्यायालय ने अचानक अपना दृष्टिकोण बदल दिया और कानूनों को बरकरार रखना शुरू कर दिया। 'आर्थिक नियत प्रक्रिया अचानक समाप्त हो गई।

38. इस कहानी का सार यह है कि यदि न्यायपालिका संयम नहीं बरतती है और अपनी सीमाओं को बढ़ाती है तो राजनेताओं और अन्य लोगों की ओर से प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। राजनेता तब हस्तक्षेप करेंगे और न्यायपालिका की शक्तियों, या यहां तक कि स्वतंत्रता को भी कम कर देंगे (वास्तव में केवल धमकी ही ऐसा कर सकती है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है)। इसलिए, न्यायपालिका को अपने आप को अपने उचित दायरे तक ही सीमित रखना चाहिए, यह महसूस करते हुए कि लोकतंत्र में कई मामलों और विवादों को गैर-न्यायिक माहौल में सबसे अच्छा हल किया जाता है।

39. हम यह भी कहते हैं कि यह हमारी राय नहीं है कि न्यायाधीशों को कभी भी जागरूक नहीं होना चाहिए। कभी-कभी न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के लिए उपयोगी सहायक होती है जैसे कि ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड 347 यूएस 483 (1954), मिरांडा बनाम एरिज़ोना 384 यूएस 436, रो बनाम वेड के तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के स्कूल अलगाव और मानवाधिकार निर्णय 410 यूएस 113, आदि या हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है। हालाँकि, इसका सहारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए जब स्थिति राष्ट्र या समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के हित में इसकी जोरदार मांग करती है लेकिन हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि आमतौर पर कानून या प्रशासनिक निर्णय का कार्य विधायिका का है। और कार्यपालिका, न कि न्यायपालिका।

40. डेनिस बनाम यूनाइटेड स्टेट्स (यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 95 लॉ एड. अक्टूबर 1950 टर्म यूएस 340-341) में श्री जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने कहा:

''अदालतें प्रतिनिधि निकाय नहीं हैं। इन्हें लोकतांत्रिक समाज का अच्छा प्रतिबिम्ब बनने के लिए बनाया नहीं किया गया है। उनका निर्णय सबसे अच्छी जानकारी वाला होता है, और इसलिए, संकीर्ण सीमाओं के भीतर, सबसे भरोसेमंद होता है। उनका आवश्यक गुण वैराग्य है, जो स्वतंत्रता पर

आधारित है। इतिहास सिखाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ख़तरे में पड़ जाती है जब अदालतें रोजमर्रा की भावनाओं में उलझ जाती हैं और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबावों के बीच चयन करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी ले लेती हैं।''

41. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमारा स्पष्ट मानना है कि उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने उत्तरदाताओं को समायोजित करने के लिए ट्रैक्टर चालक के पदों के निर्माण का निर्देश देने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंशिका दिनकर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।